गुरूनामसिंह बनाम सुखदेव सिंह

अपील संख्या : 2016/431

15.12.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित । प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह उनके कायममुकामान ने एक तरफा डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय से सेट–असाईट करने के बावजूद बैंक से ऋण लेकर हडप कर लिया इस कारण से बैंक से ऋण पर ली गई राशि जो प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 759/1 की रकबा 17.3 हैक्टर, खसरा नम्बर 759/2 की रकबा 1.20 हैक्टर भूमि जिनके मौजूदा नम्बर 1470 की रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 1478 की रकबा 1.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 1457/1456 की 0.06 है जुमला 2.65 व 2.64 में गुरूनाम सिंह, गुरूवेन्द्र सिंह, गुरूमत कौर व रणजीत कौर के नाम सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा पुत्र अमर सिंह का नाम जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से हटाकर उक्त गुरूनाम सिंह, गुरवेन्द्र सिंह, गुरूमत कौर व रणजीत कौर के नाम किया जावे । सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह से 1984 से आज तक मौजूदा भाव सालाना मुनाफे की जो 10,000/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 37–1/2 बीघा का अनाज पैदा कर बेचाते रहे उसका करीब एक करोड 51 लाख रूपये की हरजाने की रशि का मुआवजा भी दिलवाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनो को दोहराते हुए उक्त उनवान में सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने एक दावा परगना अधिकारी के0 पाटन जिला बून्दी में धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जिसे न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए दिनांक 04.07.2005 को वाद वादी खारिज कर दिया । उक्त आदेश के विरूद्ध सुखदेव ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की जिसमें एकतरफा डिक्री दिनांक 04.07.2005 निरस्त कर दिया । इसके पश्चात् गुरमान सिंह वगै0 की ओर से जरिये कायममुकामान के जरिये उक्त एकतरफा डिक्री को सेट–असाईट कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 18.02.2009 को एकतरफा डिक्री सेट–असाइट कर दी गई जिसकी निगरानी सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह ने माननीय राजस्व मण्डल में पेश की जो माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 06.03.2014 को खारिज कर दी उसके पश्चात् सुखदेव वगै0 ने धारा 228 में उच्चतम न्यायालय में रिट दायर की जिसमें दिनांक 29.07.2015 को उच्च न्यायालय की डी0बी0 बैंच ने स्टे प्रार्थना पत्र खारिज फरमा दिया । मौजूद हालत में सुखदेव व हरजेन्द्र सिंह का श्रीमान् के न्यायालय में केस चलने योग्य नहीं है क्योंकि जब सुखदेव ने उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल कर

दी तो फिर राजस्व मण्डल में उसी मामले में सुनने का अधिकार नहीं रहता है क्योंकि दो जगह पर एक ही मामले में सुनने का अधिकार नहीं रहता क्योंकि दो जग पर एक ही मामले में एक ही जमीन के बारे में सुनवाई नहीं की जा सकती है तथा सुखदेव वगै0 की कार्यवाही चलने योग्य नहीं है । डी0बी0 बैंच द्वारा सुखदेव का स्टे प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है । माननीय राजस्व मण्डल ने दिनांक 26.03.2014 को निगरानी नामंजूर कर दी है जिसको 02 साल से ज्यादा का समय होने से अपील गैर मियाद हो चुकी है। सुखदेव ने दौराने अपील जैरकार होतु हुए खसरा नम्बर 759/1 की 17.3 हैक्टर व खसरा नम्बर 759/2 की 17.04 हैक्टर आराजी वाके ग्राम भीया तहीसल के0 पाटन को बावजूद तहसील के0 पाटन को प्रार्थना पत्र देने, सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह के नाम जमाबन्दी में उक्त खसरा नम्बर की आराजी को धारा 52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत प्रावधानों के विपरीत जमाबन्दी में अपना नाम दर्ज करवा कर कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का उल्लंघन किया । सुखदेव व हरजिन्द्र तथा कायममुकाम सजा पाने के अधिकारी हैं । सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह उनके कायममुकामान ने एक तरफा डिक्री राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय से सेट–असाईट करने के बावजूद बैंक से ऋण लेकर हडप कर लिया इस कारण से बैंक से ऋण पर ली गई राशि जो प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 759/1 की रकबा 17.3 हैक्टर, खसरा नम्बर 759/2 की रकबा 1.20 हैक्टर भूमि जिनके मौजूदा नम्बर 1470 की रकबा 0.16 हैक्टर व खसरा नम्बर 1478 की रकबा 1.20 हैक्टर व खसरा नम्बर 1457/1456 की 0.06 है जुमला 2.65 व 2.64 में गुरूनाम सिंह, गुरूवेन्द्र सिंह, गुरूमीत कौर व रणजीत कौर के नाम सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा पुत्र अमर सिंह का नाम जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी से हटाकर उक्त गुरूनाम सिंह, गुरवेन्द्र सिंह, गुरूमीत कौर व रणजीत कौर के नाम किया जावे । सुखदेव व हरजिन्द्र सिंह से 1984 से आज तक मौजूदा भाव सालाना मुनाफे की जो 10,000/– रूपये प्रतिबीघा के हिसाब से 37–1/2 बीघा का अनाज पैदा कर बेचाते रहे उसका करीब एक करोड 51 लाख रूपये की हरजाने की राशि का मुआवजा भी दिलवाया जावे। धारा 144 के प्रावधान अनुसार उन्हें नुकसान की राशि दिलवायी जावे ।

अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी बहस में कथन किया कि श्रीमान् के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी बाबत् मूल अपील दिनांक 02.09.2022 को निर्णित हो चुकी है उसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश हो चुकी है तथा रिकॉर्ड तलब कर लिया है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी बाबत् प्रकरण अभी विचाराधीन है इस कारण अपील के अंतिम निर्णय तक प्रस्तत प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जाना न्यायोचित नहीं है । यहाँ नुकसान एवं उसकी भरपाई का प्रश्न हीं नही उठता । माननीय न्यायालय से वाद हमारे पक्ष में दिनांक 04.07.2005 डिक्री होने से बाद हमारे पक्ष में नामान्तरकरण भरा गया । प्रारम्भ से आज तक कब्जा हमारा है । जिस निर्णय के आधार पर प्रार्थी नुकसान की राशि मांग रहा है उस निर्णय में भी कब्जा हमारा माना है । पूर्व में कब्जा हमारा माना गया है तथा अप्रार्थी का कब्जा प्रकरण में एक स्थापित व स्वीकृत तथ्य है । ऐसी स्थिति में धारा 144 का उक्त प्रावधान प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं

होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी ऐसी परिस्थिति में इस तर का कोई प्रावधान नहीं है । अतः उक्त प्रार्थना पत्र पर अपील के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित फरमाई जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 2019 पेज 589 उद्धरत की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । सुखदेव सिंह व हरजिन्द्र सिंह ने एक वाद परगना अधिकारी के0 पाटन जिला बून्दी में धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया जिसे दिनांक 06.07.2004 को वाद वादी खारिज कर दिया । अपीलान्ट सुखदेव व हरजिन्द्र ने इसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहाँ प्रस्तुत की जिसमें अपील संख्या 100/4 को एकपक्षीय स्वीकार कर दिनांक 04.07.2005 को निर्णय सुनाते हुए अपीलान्ट को खातेदार घोषित किया गया । इसके पश्चात् गुरमान सिंह वगै0 की ओर से जरिये कायममुकामान के जरिये उक्त एकतरफा डिक्री को सेट–असाईट कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 19.12.2008 को एकतरफा डिक्री सेट–असाइट कर दी गई। न्यायालय हाजा ने दिनांक 19.12.2008 प्रार्थी का आदेश 09 नियम 13 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा अपील अपीलान्ट पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय माननीय उच्च न्यायालय तक बहाल रखा । वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है अर्थात् विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी ने ऐसा कोई स्थगन आदेश आदि पेश नहीं किया है जिससे साबित हो कि प्रस्तुत प्रकरण में किसी अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है । व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 144 इस प्रकार से है –प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन – (1) जहाँ कि और जहाँ तक कि किसी डिक्री (या आदेश) में (किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही में फेरफार किया जावे या उसे उलटा जाए अथवा उसको इस प्रयोजन के लिए संस्थित किसी वाद में अपास्त किया जाए या उपान्तरित किया जाए वहाँ और वहाँ तक वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था,) उस पक्षकार के आवेदन पर जो प्रत्यास्थापन द्वारा या अन्यथा कोई फायदा पाने का हकदार है, ऐसा प्रत्यास्थापन कराएगा, जिससे पक्षकार, जहाँ तक हो सके, उस स्थिति में हो जाऐंगे जिसमें वे होते यदि वह डिक्री (या आदेश) या (उसका वह भाग जिसमें फेरफार किया गया है या जिसे उलटा गया है या अपास्त किया गया है या अपान्तरित किया गया है,) न दिया गया होता और न्यायालय इस प्रयोजन से कोई ऐसे आदेश जिनके अन्तर्गत खर्चो के प्रतिदाय के लिए और ब्याज, नुकसानी, प्रतिकर और अन्तःकालीन लाभों के संदाय के लिए आदेश होंगे, कर सकेगा जो (उस डिक्री या आदेश के ऐसे फेरफार करने, उलटने, अपास्त करने या उपान्तरण के उचित रूप में पारिणामिक है) – इस धारा के प्रयोजन के लिए, "वह न्यायालय जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था" पद के बार में यह समझाा जाएगा कि उसके अन्तर्गत निम्नलिखित है– (क) जहाँ डिक्री या आदेश में फेरफार या उलटाव अपीली या पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग में किया गया है वहाँ प्रथमवार का न्यायालय, (ख) जहाँ डिक्री या आदेश पृथक

वाद में अपास्त किया गया है वहाँ प्रथम बार का वह न्यायालय जिसने ऐसी डिक्री या आदेश पारित किया था, (ग) जहाँ प्रथम वार का न्यायालय विद्यमान नहीं रहा है या उसकी उसे निष्पादित करने की अधिकारिता नहीं रही है वहाँ वह न्यायालय जिसे ऐसे वाद का विचारण करने की अधिकारिता होती यदि वह वाद जिसमें डिक्री या आदेश पारित किया गया था, इस धारा के अधीन प्रत्यास्थापन के लिए आवेदन किये जाने के समय संस्थित किया गया होता । (2) कोई भी वाद काई ऐसा प्रत्यास्थापन या अन्य अनुतोष अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से संस्थित नहीं किया जावेगा जो उपधारा (1) के अधीन आदेश द्वारा अभिप्राप्त किया जा सकता था ।" धारा 144 के तहत हम विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि नियमानुसार प्रकरण के राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती कर पूर्व की स्थिति बहाल की जानी चाहिए । प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है । हम विद्वान् अभिभाषक अप्रार्थी के इस कथन से सहमत हैं कि उनके पक्ष में नामान्तरकरण न्यायालय के आदेश के पश्चात् भरा गया तथा विवादित भूमि पर कब्जा निर्विवाद रूप से अप्रार्थी का सिद्ध है । अतः हमारे विनम्र मत में राजस्व रिकॉर्ड में तो अंकन पूर्व अनुसार बहाल होना चाहिए परन्तु नुकसान के हर्जाने का कोई ठोस आधार यहाँ नहीं बनता है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भी प्रकरण की परिस्थितियों के संदर्भ में इस तरह का कोई प्रावधान विद्वान् अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः प्रार्थी द्वारा मांगे गये 01 करोड 51 लाख सत्तर हजार रूपये का अनुतोष प्रकरण में दिये जाने योग्य नहीं है तथा न ही इसका कोई ठोस आधार है । प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया कि किस नामान्तरकरण से जमाबन्दी में अप्रार्थी का नाम दर्ज हुआ, कोई विशिष्ट तिथि या सन् भी अंकित नहीं है केवल एक असत्यापित जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रस्तुत की है ।

अतः उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी आंशिक रूप से ही स्वीकार किया जाता है । प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान में वादग्रस्त आराजी सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा पुत्र अमर सिंह का नाम जमाबन्दी में दर्ज है जिसे विलोपित कर जिस नामान्तरकरण से अप्रार्थीगण कानाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ उससे पूर्व की स्थिति बहाल की जावे तथा जो नाम पहले से जामबन्दी में दर्ज थे उसे बहाल किया जावे । यदि किसी बैंक से कोई ऋण आदि अप्रार्थी सुखदेव सिंह या हरजेन्द्र सिंह अथवा उनके वारिसान ने प्राप्त किया है तो वह उनके द्वारा चुका या जावेगा ।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा